रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 748] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 24, 2012/वैशाख 4, 1934
No. 748] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 24, 2012/VAISAKHA 4, 1934

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2012

का.आ. 898(अ).—यद्यपि केन्द्र सरकार पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग मदों में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 (जिसे इसके बाद जेपीएम अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3 के प्रावधानों के अधीन जारी दिनांक 17 जनवरी, 1912 (जिसे इसके पश्चात् प्रधान आदेश कहा जाएगा) के आदेश सं. का.आ. 88(अ) पटसन वर्ष 2011-12 के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में 100 प्रतिशत के लिए खाद्यान्न और चीनी के लिए आरक्षित है ।

तथा, यद्यपि जेपीएम अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधानों के अधीन केन्द्र सरकार, यदि यह राय रखती हो कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में अनिवार्य अथवा लाभप्रद हो, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग को किन्हीं मदों अथवा मदों की श्रेणी के लिए आपूर्ति करने अथवा वितरण करने से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन निर्मित आदेश के प्रचालन से छूट दे सकती है ।

यद्यपि उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग ने सूचित किया है कि पटसन बोरों की आपूर्ति स्थिति पर्याप्त नहीं है और ऐसी संभावना है कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में अधिप्राप्ति प्रचालन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य अधिप्राप्ति एजेंसियों द्वारा पिछले मौसम अर्थात् केएमएस 2009-10 और आरएमएस 2010-11 से एचडीपीई/पीपी बोरों की 56000 गांठों से अधिक बकाया गांठों की अनुमति देने के लिए छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है ।

तथा, यद्यपि केन्द्र सरकार ने पटसन आयुक्त, कोलकाता के परामर्श से रबी, विपणन मौसम (आरएमएस) 2012-13 के लिए खाद्यान्न की पैकिंग के लिए बी.ट्विल पटसन बोरों की मांग तथा तदनुरूपी आपूर्ति क्षमता और सरकारी खरीद एजेंसियों को आपूर्ति के संबंध में पटसन उद्योग के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है ।

तथा, यद्यपि भारत सरकार ने विचार किया है कि अतिरिक्त मांग के कारण आरएमएस 2012-13 के लिए खरीद एजेंसियों द्वारा पैकिंग सामग्रियों की अनुमानित आवश्यकता में 9.09 लाख गांठ के प्रारम्भिक अनुमान की तुलना में 12.34 लाख गांठ तक वृद्धि हुई है । पटसन बोरों की उपलब्धता में कमी की स्थिति में एक बफर स्टॉक सृजित करने के दृष्टि से पिछले मौसम अर्थात् केएमएस 2009-10 तथा आरएमएस 2010-11 से बचे हुए एचडीपीईपी/पीपी बोरों की बची हुई 56000 गांठों का उपयोग एफसीआई, हरियाणा राज्य एजेंसियों, मध्य प्रदेश राज्य एजेंसियों और पंजाब राज्य एजेंसियों द्वारा आरएमएस 2012-13 के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन पटसन बोरों की आवश्यकता में कटौती किए बिना किया जाए :

(i) खरीद एजेंसियों के पास स्टॉक में पड़े केवल पुराने एचडीपीई/पीपी बोरों 56000 गांठ का उपयोग किया जाए ।

(ii) उनका उपयोग केवल अप्रैल 2012 के अंतिम सप्ताह में उस समय किया जाए, जब मांग अधिकतम हो और बी. ट्विल बोरों के सरकारी खरीद मूल्य तथा बाजार मूल्य के बीच न्यूनतम अंतर हो ताकि एचडीपीई/पीपी बोरों के आगामी उपयोग के लिए दबाव हेतु सृजित की जा रही कृत्रिम कमी के भय को समाप्त किया जा सके; तथा

(iii) रबी विपणन मौसम 2012-13 के लिए पटसन आयुक्त को सूचित की गई पटसन बोरों की 12,34,000 गांठ की अनुमानित मांग आवश्यकता में कोई छूट न दी जाए ।

[फा. सं. 9/8/2012-पटसन]

सुजीत गुलाटी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 23rd April, 2012

S.O. 898(E).—Whereas the Central Government vide Order No. S.O.88(E) dated 17th January, 2012 (hereinafter referred to as the Principal Order) issued under the provisions of Section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (hereinafter referred to as the JPM Act) reserved foodgrain and sugar for 100 per cent packaging in jute packaging material for the jute year 2011-12.

And, whereas, under the provisions of Section 16(1) of the JPM Act, the Central Government, if it is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, may exempt any person or class of persons, supplying or distributing any commodity or class of commodities, from the operation of an order made under Section 3 of the Act.

Whereas, Ministry of Consumer Affairs, Department of Food and Public Distribution has intimated that the supply position of jute bags is not adequate and there is a possibility that procurment operation may get adversely affected in Punjab, Haryana, Madhya Pradesh and Rajasthan and have requested for relaxation to allow the left over 56000 bales of HDPE/PP bags from the previous season i.e. KMS 2009-10 and RMS 2010-11 by the Food Corporation of India and State Procurement Agencies.

And, whereas, the Central Government has reviewed the demand of B.Twill jute bags for packing foodgrains for Rabi Marketing Season (RMS) 2012-13 and the corresponding supply capacity and performance of jute industry in respect of supply to the Government procurement agencies in consultation with Jute Commissioner, Kolkata.

And, whereas, the Government of India has considered that due to additional demand, the estimated requirement of the packing materials by the procurement agencies for the RMS 2012-13 has increased from the initial projection of 9.09 lakh bales to 12.34 lakh bales. In order to create a buffer in the eventuality of tight situation of availability of jute bags, the quantities of 56000 bales of HDPE/PP bags leftover from the previous season i.e. KMS 2009-10 and RMS 2010-11 be used by the FCI, Haryana State Agencies, MP State Agencies and Punjab State Agencies during RMS 2012-13 without reducing the requirements of jute bags, subject to the following conditions:

(i) only old HDPE/PP bags upto 56,000 bales already lying in the stocks with the procurement agencies be utilized;

(ii) they be utilized only in the last week of April, 2012 when demand will be at its highest and the difference between government purchase price and the market price of jute B.Twill bags the least, so as to offset any fear of artificial shortage being created to press for further use of HDPE/PP bags; and

(iii) no relaxation be made in the requirement of jute bags from the estimated demand communicated to the Jute Commissioner for the Rabi Marketing Season 2012-13 of 12,34,000 bales.

[F. No. 9/8/2012-Jute]

SUJIT GULATI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.